

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर
क्रमांक - ई-18/एम/आक्षेप वॉ.-1/2019/ दिनांक

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 11 (7)वित्त/नियम/2008 दिनांक 12 09 2008 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ 14 (88)वित्त (नियम)/2008-1 दिनांक 31 12 2009 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार श्री बाबूलाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, चित्तौड़गढ़ जिनकी राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 21 11.1981(चश्रेक) है, को 27 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिनांक 21 11 2008 से 5200-20200 व ग्रेड पे 2100 एसीपी स्वीकृत किया जाता है।

उक्त कर्मचारी का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जावेगा।

(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक - ई-18/एम/आक्षेप वॉ.-1/2019/1925

दिनांक 11/09/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

- 1 प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सामान्य चिकित्सालय, चित्तौड़गढ़ को भेजकर लेख है कि कर्मचारी को दिनांक 31 03 2007 को स्वीकृत 09 वर्षीय एसीपी आदेश को निरस्त कर नियमानुसार वसूली करे।(सलग्न-रोवापुरितका)
- 2 श्री बाबूलाल शर्मा, कनिष्ठ सहायक को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 3 प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करे।
- 4 आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर